Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

वण्डर सीमेंट लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी **बनाम** **आशीष वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– धारा 89 (2) एवं (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र (रे.वि.)**	नं0 **057**	सन् **2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.08.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी हाजिर। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया की अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात प्रार्थी कंपनी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के क्रय की जा चुकी है जिससे प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना–पत्र निष्प्रभावी हो चुका है, अतः प्रार्थना–पत्र में कार्यवाही इसी स्तर समाप्त किये जाने का आदेश दिलवाया जावें। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली रहे। रिकार्ड पर लिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 12.01.2021 से कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जा चुकी है। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो का चिंतन–मनन किया। प्रार्थी कंपनी स्वयं अपना प्रार्थना–पत्र नहीं चलाना चाहती है, ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, फलत् अधिवक्ता प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को विड्रोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/d- (पीयुष समारिया) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 23.08.2023 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	